

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990

(1990 का अधिनियम संख्यांक 21)

[10 सितंबर, 1990]

जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के
सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य पर है।

(3) यह 5 जुलाई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “सशस्त्र बल” से भूमि बलों के रूप में क्रियाशील सैनिक बल और वायु बल अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत संघ का इस प्रकार क्रियाशील कोई अन्य सशस्त्र बल भी है ;

(ख) “विक्षुब्ध क्षेत्र” से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा तत्समय विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ग) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो उन अधिनियमों में हैं।

3. क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति—यदि, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, उस राज्य के राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग ऐसी विक्षुब्ध और खतरनाक स्थिति में है कि —

(क) ऐसे क्रियाकलाप को रोकने के लिए जिनमें विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी वर्ग को अलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए उद्दिष्ट आतंकवादी कार्य अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) ऐसे क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता का प्रत्याख्यान करने, उसे विवादास्पद बनाने या विच्छिन्न करने या संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग को विलग करने या भारतीय राष्ट्रध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अपमान करने के लिए उद्दिष्ट हैं,

सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है तो राज्य का राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “आतंकवादी कार्य” का वही अर्थ है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।

4. सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां—सशस्त्र बलों का कोई आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर, अनायुक्त आफिसर या तत्समान रैंक का कोई अन्य व्यक्ति, किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में, —

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो ऐसी सम्यक् चेतावनी देने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो विक्षुब्ध क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव को अथवा हथियारों या ऐसी वस्तुओं को, जिनका प्रयोग हथियारों के रूप में किया जा सकता है अथवा अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थों को लेकर चलने को प्रतिषिद्ध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या आदेश के उल्लंघन में कार्य कर रहा है, गोली चलाकर या उसके विरुद्ध अन्यथा बल का प्रयोग करके, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकेगा ;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो आयुधों के किसी अस्थायी गोदाम को, ऐसे किसी तैयार किए गए या किलेबन्द स्थान या आश्रयस्थल को, जिससे सशस्त्र हमले किए गए हैं या किए जाने की संभावना है या किए जाने

का प्रयत्न किया गया है अथवा किसी ऐसी संरचना को, जिसका प्रयोग सशस्त्र स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर के रूप में या ऐसे सशस्त्र गैंगों या फरार हुए व्यक्तियों द्वारा, जिनकी किसी अपराध की बाबत तलाश है, छिपने के स्थल के रूप में किया गया है, नष्ट कर सकेगा ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है अथवा जिसके बारे में यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है ;

(घ) यथापूर्वोक्त कोई ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति का प्रत्युद्धरण करने के लिए, जिसकी बाबत यह विश्वास है कि उसे सदोष अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है, या किसी ऐसी संपत्ति की, जिसकी बाबत युक्तियुक्ततः यह संदेह है कि वह चोरी की संपत्ति है, या किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद या विस्फोटक दार्थों की बरामदगी के लिए, जिनकी बाबत यह विश्वास किया जाता है कि वे किसी परिसर में विधिविरुद्धतया रखे गए हैं, ऐसे परिसर में वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो और ऐसी किसी संपत्ति, आयुधों, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थों को अभिगृहीत कर सकेगा ;

(ङ) किसी ऐसे यान या जलयान को, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उद्घोषित अपराधी है या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने कोई असंज्ञेय अपराध किया है या जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह है कि उसने कोई असंज्ञेय पराध किया है या करने वाला है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर चल रहा है, जो कोई ऐसे आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थ लिए हुए है जिनकी बाबत यह विश्वास किया जाता है कि वे उसके द्वारा विधिविरुद्धतया धारित हैं, रोक सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उसे अभिगृहीत कर सकेगा, तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो, यथास्थिति, ऐसे रोके जाने, तलाशी ली जाने या अभिग्रहण के लिए आवश्यक हो ।

5. तलाशी की शक्ति के अंतर्गत ताले, आदि तोड़कर खोलने की शक्ति का होना—इस अधिनियम के अधीन तलाशी लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी द्वार, अलमारी, तिजोरी, पेटी, कबर्ड, दर्राज, पैकेज या अन्य वस्तु को यदि उसकी चाबी प्रतिधारित कर ली गई है तो ताला तोड़कर खोलने की शक्ति होगी ।

6. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अभिगृहीत की गई संपत्ति का पुलिस को सौंपा जाना—इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए और अभिरक्षा में लिए गए किसी व्यक्ति को और इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत प्रत्येक संपत्ति, आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थ या किसी यान या जलयान को, यथाशीघ्र, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ सौंप दिया जाएगा जिनके कारण, यथास्थिति, वह गिरफ्तारी करनी पड़ी है या ऐसी संपत्ति, आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक पदार्थ या किसी यान या जलयान को अभिगृहीत करना पड़ा है ।

7. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. निरसन और व्यावृत्ति—(1) सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश 3) निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।